...य भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन उपखंड अधिकारी बाली जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2025/525
दायरा तिथि : 10.09.2025
आदेश तिथि : 30-12-25

प्रार्थी:-

सुरेश कुमार पुत्र स्व. नारायणसिंहजी जाति राजपुरोहित
निवासी शिवतलाव तहसील बली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री सुरेशकुमार राजपुरोहित.......................अधिवक्ता प्रार्थी की और से
2. तहसीलदार बाली......................पेरोकार सरकार

-:: आदेश ::- दिनांक 30-12-25

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शिवतलाव में ग्राम पंचायत के नाम आबादी दर्ज भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1094/1, 1094/2 व खसरा नंबर 1094/3 की तरमीम पटवारी हल्का, शिवतलाव द्वारा वर्ष 2023 में बिना किसी आदेश के नक्शे में तरमीम परिवर्तित कर दी। तथा उक्त तरमीम परिवर्तन के दौरान् गलत तौर से भूलवश आबादी भूमि खसरा नंबर 1094/1, 1094/2 व खसरा नंबर 1094/3 के कुछ हिस्से को खसरा नंबर 1094 (गोचर) में दर्शा दिया। उक्त त्रुटि की वजह से प्रार्थी एवं अन्य लोगों को ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में जारी पट्टो की भूमियॉ भी नक्शे में गोचर में दर्ज हो गई। पटवारी हल्का, शिवतलाव द्वारा नक्शे की गई परिवर्तित तरमीम त्रुटिपुर्ण होने एवं विधिक प्रावधानो के विरूद्व होने से उक्त तरमीम को सही किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार, बाली एवं उसके प्रतिनिधि निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा एवं पटवारी हल्का, शिवतलाव ने रेकर्ड एवं मौके की जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2025/2719 दिनांक 5.12.2025 से निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की:-

1. वर्तमान राजस्व रेकड के अनुसार खसरा नंबर 1094/1 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 1094/2 रकबा 0.80 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1094/3 रकबा 0.80 हैक्टर ग्राम पंचायत विभाग आबादी हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज हैं।
2. उक्त खसरों की तरमीम श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली के आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश क्रमांक/एफ.12(3)/राज/16/646 दिनांक 8.12.2016 के साथ लगे नक्शा ट्रैस एवं डी. आई.आर.एल.एम.पी.(BRO) शीट नक्शा से करने पर वर्तमान भू0 नक्शा की तरमीम गलत पाई गई। श्रीमान्जी के अवलोकन के लिए श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली का आदेश संलग्न हैं।
3. अतः उपरोक्त खसरों की तरमीम ग्राम सेवतलाव के नक्शा लट्ठा एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली के आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश के साथ लगे नक्शा ट्रैस के अनुसार तरमीम की त्रुटि को दुरूस्त करना न्यायोचित हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा आबादी भूमि में पट्टा जारी किया हुआ है, परन्तु आबादी भूमि में आंशिक तौर पर ग्राम पंचायत की गोचर भूमि खसरा नंबर 1094 की नक्शे में मौका स्थिति के विपरीत तरमीम होने से तहसीलदार, बाली द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही कर मौके से बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों एवं

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/525
सुरेश कुमार बनाम तहसीलदार बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1094/1, 1094/2 व खसरा नंबर 1094/3 जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, इन खसरों के कुछ हिस्से में गलत तौर से खसरा नंबर 1094 जो कि ग्राम पंचायत की गोचर भूमि है, के संबध में वर्तमान नक्शे में मौका स्थिति के विरूद्व की गई तरमीम को विलोपित कर ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1094/1, 1094/2 व खसरा नंबर 1094/3 की नक्शे में तरमीम शुद्धि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 तहत किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि प्रार्थी द्वारा ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1094 पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार, बाली द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही किये जाने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण पर बेदखली की कार्यवाही रोके जाने के लिये नक्शे में आबादी भूमि की हुई तरमीम को त्रुटिपुर्ण बताते हुये उक्त आवेदन पेश किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि खसरा नंबर 1094 जो गोचर दर्ज है, उक्त तरमीम शुद्धि किये जाने पर खसरा नंबर 1094 गोचर का जो रकबा 3.32 हैक्टर वर्तमान में अधिकार अभिलेखों में दर्ज है, उक्त तरमीम बदलने पर गोचर का रकबा कम तो नहीं होगा, ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात हैं कि उक्त तरमीम शुद्धि किये जाने पर ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1094 (गोचर) की भूमि में खसरा नंबर 1094/1, 1094/2 व खसरा नंबर 1094/3 की नक्शे में तरमीम शुद्धि होगी, अर्थात् उक्त आदेश से ग्राम पंचायत की गोचर भूमि प्रभावित होगी। भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होने से ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार भी है, प्रार्थी ने इन्हे पक्षकार भी नही बनाया। प्रार्थी ने अपरोक्ष तौर से ग्राम शिवतलाव की गोचर भूमि पर किये अतिक्रमण को सही साबित करने के लिये उक्त नक्शे में तरमीम शुद्धि का आवेदन किया है। गोचर भूमि टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 से प्रतिबंधित भूमि है, जिसकी अनुमति विधि के प्रावधान प्रदान नहीं करते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलक्टर एवं
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 30-12-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली
भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner